# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 07/2023

अनवान : –

1. देवतराम पुत्र पालीराम जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– अपीलांट

**बनाम्**

1. चन्द्रावली पुत्री पालीराम पत्नी रामप्रताप जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा तहसील नोहर।
2. कमला पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. विजयसिह पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. माया पुत्री ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सुमित्रा पुत्री ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. प्रियंका पुत्री ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. संजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. ग्राम पंचायत फेफाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना तहसील नोहर।

– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत फेफाना के निर्णय दिनांक 06.02.2023 जिसकी रूह में नामान्तकरण संख्या 890 दिनांक 30.12.2022 दर्ज स्वीकृत किया गया है को अपास्त करवाने

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– श्री महेश चन्द्र शर्मा अपीलांट
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांक: 20/02/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने 75 एलआरएक्ट के तहत अपील इस आश्य की पेश की गई कि रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 78 के प0न0 399/315(10) के किला न0 17/2 की 0.0510हैक 20/2 की 0'1520हैक , 21 ता 24 की 0. 1012हैक प0न0 339/366(19) के किला न0 1/0.2530हैक कुल 1.4660हैक भूमि वादी के पूर्वजों की थी जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का बाई बर्थ राईट था व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ने अपना समस्त हक व हिस्सा त्याग करके अपने ससुराल चली गयी थी पालीराम की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 के पिता का बहिब था जिसका वाद न्यायालय एसडीऑ कोट नोहर में अनवानी देवतराम बनाम चन्द्रावली सन 2019 से विचाराधीन है जिसमें आईन्दा तारीख पेशी 18.08.2023 है इस वाद के चलते मातहत अदालत ग्राम पंचायत फेफाना ने अपीलाकृत आदेश पारित करवाया गया है।

मातहत अदालत का एक पक्षीय निर्णय जो अपीलान्ट को वगैर नोटिस दिये बिना सुनवाई के पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है उक्त निर्णय न्यायिक परिभाषा में नही आता है क्योकि जब तक पूर्व से पक्षकारों में विवाद चल रहा हो वाद विचाराधीन हो तब तक वाद को प्रभावित करने के उदेश्य से आदेश पारित किया गया है मातहत अदालत को किसी भी प्रकार से हको का निर्धारण करने का अधिकार नही है नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व सभी पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उभय पक्षकारो से साक्ष्य सबुत लिये जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 7 ने तथ्यों को छुपाकर निर्णय पारित करवाया गया है वाद भूमि में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही है और विरास्तन के नाम पर 1/3 हिस्सा दर्ज करवाया गया है जो विधि विरूद्व है ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:37:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ही चन्द्रावली का कब्जा काश्त 1/2 हिस्सा पर है अपीलान्ट 1/2 हिस्सा पर रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 7 का निरन्त रूप से कब्जा चला आ रहा है।

अपीलाकृत आदेश दिनांक 06.02.2023 का है जो मियाद बाहर है किन्तु एक पक्षीय बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया हे जिसका अपीलान्ट को ज्ञान नही था अपीलान्ट को अपने लडके के जरिये ज्ञान होने पर अपील पेश की गई है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा नामान्तकरण संख्या 890 दिनांक 06.02.2023 को निरस्त फरमाया जावे

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट स0 1 ता 7 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरानत भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई अपीलाधीन नामान्तकरण पत्रावली में उपलब्ध होने के कारण बहस सुनी गई।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मातहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय तौर पर वाद के विचाराधीन रहते निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावे।

हमने वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

अपीलान्ट ने अपील इस आशय की पेश की गई की अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 890 दर्ज /स्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा नामान्तकरण दर्ज करने के समय वाद भूमि का वाद विचाराधीन था इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावे।

पत्रावली में उपलब्ध फर्द अहकाम के अनुसार अनवानी वाद देवतराम बनाम चन्द्रावली प्रकरण संख्या 736/2019 दिनांक 13.09.2019 से विचाराधीन चल रहा था जिसमें अपीलाधीन नामान्तकरण में दर्ज भूमि और न्यायालय में विचाराधीन वाद में अंकित भूमि सामान है अर्थात न्यायालय हाजा में हको के निर्धारण का वाद पूर्व से ही विचाराधीन चल रहा था।

अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 890 दर्ज स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई भी सुनवाई का अवसर नही दिया गया था ना ही कोई ऐसा साक्ष्य सबुत पेश किया गया जिससे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना साबित होता हो अर्थात एकपक्षीय तौर से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है विधि सम्मत नही है यदि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो न्यायालय में विचाराधीन वाद का उल्लेख हो जाता।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नही दिया गया था तथा अपीलाधीन आदेश न्यायालय में हको के निर्धारण हेतु विचाराधीन रहते पारित किया गया है विधि सम्मत नही है अपीलाधीन आदेश आपस्त योग्य है

अतः अपील अपीलान्ट साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 890 दिनांक 30.12.2022 को निरस्त किया जाता है निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:37:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )